

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	13/06/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उमय पडा उपस्थित। प्रार्थी/प्रतिवादी स.3 द्वारा पूर्व में पेश प्रार्थना पत्र आपत्ति कुरैजात पर वकुलाय उमय पडा की बहस सुनी गई।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं वकुलाय उमय पडा की बहस पर मतन करने पर यह प्रतिब होना है कि तहसीलदार तूंगा द्वारा दिनांक 21/02/22 को तैयार किये गये दोनों विभाजन प्रस्ताव वाई मिट्स एण्ड वाउन्स को ध्यान में रखते हुए एवं राजस्थान कषतकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 के नियमानुसार तैयार होकर प्राप्त हुए हैं। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी स.3 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आपत्ति कुरैजात को खारिज किया जाता है।</p> <p>वादीगण का वाद बंठवारा से संबंधित होने तथा प्र. पत्र आपत्ति कुरैजात का निस्तारण हो जाने से वकील वादीगण ने वाद की अन्तिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। जिस पर बहस वकुलाय उमय पडा की सुनी गई। तथा उमय पडा अधिवक्ता ने तहसीलदार तूंगा द्वारा दिनांक 21/02/22 को</p>

यालय : सहार
वाद/प्रार्थना पत्र/

दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

क्रमा

फर्द अहकाम

घनाम

शाखालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

तैयार कर भिजवाये गये दो
विभाजन प्रस्तावों में से विभाजन
प्रस्ताव - प्रथम के अनुसार वाद
की अंतिम डिफ्री किये जाने
के लिए अपनी-अपनी सहमति जाहिर
की है।

वकुलाय उभयपक्ष की बहस
पर मनन करने तथा पत्रावली
पर उपलब्ध दस्तावेजात का प्रबलान्क
पश्चात - प्राथमिक को ध्यान में रखते
हुए वादी का वाद अंतिम डिफ्री
किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि
खसरा नम्बर-5 रकबा 6.3099 है
स्थित ग्राम चरणगढ प. ह. राजपुरा
पातलवास, भू. अ. नि. बांसखोह तह
तूंगा जिला जयपुर में से ख. न.
5 रकबा 1.5650 है की भूमि
खातेदार बद्रीनारायण पुत्र नहनू राहिन
1/3 मोहनलाल पुत्र नहनू राहिन 1/3
नाबालिग पुरण पुत्र राजूलाल हि. 1/9
राहिन नाबा. मोहित पुत्र राजूलाल हि.
1/9 राहिन बाडा देवी पत्नी राजूलाल.
हि. 1/9 राहिन 382 बांसखोह जाति
मीना सा. देव छिशनपुरा के हिस्से में
रहेगी तथा ख. न. 5/1 रकबा 1.3701
है की भूमि खातेदारी रामचन्द्र पुत्र
पांचू जाति मीना सा. छिशनपुरा राहिन
एड. बी. आई. बस्सी राहिन 1/6 हि. के हिस्से

का 11

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बरसी
राजस्व खात/प्राथमिक पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>मे रहेगी तथा ख.न. 5/2 रकबा 0.2588 हे० की भूमि खातेदार भागीरथ पुत्र पंचू जाति मीना सा. छिशनपुरा राहिन भूनिघन बैंक ऑफ इण्डिया बरसी के डिस्ट्रि में रहेगी तथा ख.न. 5/3 रकबा 0.4777 हे० की भूमि खातेदार दौलतराम पुत्र लक्ष्मीनारायण हि. 1/2 राहिन बैंक ऑफ इण्डिया बांसखोह गोड़ी देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण हि. 1/2 जाति मीना सा. छिशनपुरा के डिस्ट्रि में रहेगी तथा ख.न. 5/4 रकबा 1.5650 हे० की भूमि खातेदार कजोडमल, धनश्याम, शंकरलाल, राजू देवी पुत्र/पुत्री जगन्नाथ 1/2 जोपल, बाबूलाल पुत्र काबू 1/2 धोलीराम, पायल, राडुल पुत्रान व मंजूदेवी पत्नी सीतराम हि 1/4 के डिस्ट्रि में रहेगी तथा खसरा नम्बर 5/5 रकबा 1.0433 हे० की भूमि खातेदार छोटी पत्नी श्रीनारायण हि 1/2 लोबी पत्नी प्रभारी लाल हि. 1/2 जाति मीना सा. छिशनपुरा के डिस्ट्रि में रहेगी तथा सैलान जमाबंदी अनुसार शामिल खातेदारी डिस्ट्रि में रहेगी जो 0.050 हे० भूमि है तथा खसरा नम्बर 3/2 रकबा 0.7587 हे० स्थित ग्राम चरगाठ प. हल्का राजपुरापातलवारन अ.अ.नि. बांसखोह</p>

(मार्ग)

फर्द अहकाम

चनाम

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

स्व चाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>तहसील बस्सी जिला जयपुर में खे ख.न. 3/2 रकबा 0.37935 ई० की भूमि खातेदार बन्नीनारायण पुत्र नहनू 1/3 मोहनलाल पुत्र नहनू हि. 1/3 नाबा. पुरण पुत्र राजूलाल सरडाक माता लाडा देवी हि. 1/9 लाडा देवी पत्नी राजूलाल हि. 1/9 राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कांसखोड जाति मीना खा. देह नाबा. मोहित पुत्र सम्पूर्ण राजूलाल 1/9 राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कांसखोड के हिससे में रहेगी तथा खसरा नम्बर 3/2/1 रकबा 0.37935 ई० की भूमि खातेदारी रामचन्द्र पुत्र पान्यू हि. राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बस्सी के हिससे में रहेगी।</p> <p>उक्तानुसार तहसीलदार तूंगा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरमद की कार्यवाही करें।</p> <p>अनुमोदित विभाजन प्रस्ताव व नक्शों की प्रति तहसीलदार तूंगा को भिजवाया जावे। इस आशय की तहरीर जारी हो। डिप्टी पर्वर जारी हो।</p> <p>पत्रावली फंसल शुमार होकर चाद तहसील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>यह निर्णय आज दिनांक 13/06/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्लदाई
(ओ.20 रुल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी कनक जैन (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी, जयपुर ग्रामीण

वादी

प्रतिवादीगण


बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र पांचू
 2. भागीरथ पुत्र पांचू
 3. दौलतराम पुत्र लक्ष्मीनारायण
 4. छोटी पत्नि श्रीनारायण
 5. लाली पत्नि प्रभातीलाल
 6. गोठी पत्नि लक्ष्मीनारायण
समस्त जाति मीना निवासी ग्राम
चरणगढ तह. बस्सी जिला जयपुर
हाल निवासी किशनपुरा तह.
बस्सी जिला जयपुर।
1. राजूलाल पुत्र नहनू(मृतक दौराने दावा)
1/1 मोहित पुत्र राजूलाल
1/2 पूरण पुत्र राजूलाल
नाबालिग जरिये संरक्षिका माता लाडा
देवी पत्नि राजूलाल
1/3 लाडा देवी पत्नि राजूलाल जाति
मीणा निवासी ग्राम चरणगढ तह. बस्सी
जिला जयपुर।
 2. बाबूलाल
 3. बद्रीनारायण
 4. मोहनलाल पुत्रान नहनू
जाति मीणा निवासी ग्राम चरणगढ तह.
बस्सी जिला जयपुर।
 5. जगन्नाथ पुत्र महादेव(मृतक दौराने दावा)
5/1 शंकरलाल पुत्र जगन्नाथ
5/2 कजोडमल पुत्र जगन्नाथ
5/3 घनश्याम पुत्र जगन्नाथ
5/4 राजू देवी पुत्री जगन्नाथ
5/5 रामपति पुत्री जगन्नाथ
समस्त जाति मीना निवासी ग्राम
किशनपुरा तह. बस्सी जिला जयपुर।
 6. बाबूलाल
 7. सीताराम
 8. गोपाल पुत्रान कालू
समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम
किशनपुरा तह. बस्सी जिला जयपुर।
 9. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बस्सी
तह. बस्सी जिला जयपुर जरिये मैनेजर।
 10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी
तहसील बस्सी जिला जयपुर।

दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

मुकदमा नम्बर 41/19

वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 5
रकबा 6.3099 है0 स्थित ग्राम चरणगढ प.ह. राजपुरा पातलवास, भू.अ.नि. बांसखोह तह.
तूंगा जिला जयपुर में से ख.नं. 5 रकबा 1.5650 है0 की भूमि खातेदार बद्रीनारायण पुत्र
नहनू राहिन 1/3 मोहनलाल पुत्र नहनू राहिन 1/3 नाबालिग पूरण पुत्र राजूलाल हि.


सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर

1/9 राहिन ना.बा. मोहित पुत्र राजूलाल हि. 1/9 राहिन लाडा देवी पत्नि राजूलाल हि.
 1/9 राहिन एस.बी.आई. बांसखोह जाति मीना सा. देह किशनपुरा के हिस्से में रहेगी तथा
 ख.नं. 5/1 रकबा 1.3701 है० की भूमि खातेदारी रामचन्द्र पुत्र पांचू जाति मीना सा.
 किशनपुरा राहिन एस.बी.आई. बस्सी राहिन 1/6 हि. के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 5/2
 रकबा 0.2388 है० की भूमि खातेदार भागीरथ पुत्र पांचू जाति मीना सा. किशनपुरा राहिन
 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया बस्सी बस्सी के हिस्से में रहेगी तथा खसरा नम्बर 5/3 रकबा
 0.4777 है० की भूमि खातेदार दौलतराम पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/2 राहिन बैंक ऑफ
 इण्डिया बांसखोह गोठी देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/2 जाति मीणा सा. किशनपुरा
 के हिस्से में रहेगी तथा खसरा नम्बर 5/4 रकबा 1.5650 है० की भूमि खातेदार कजोडमल,
 घनश्याम, शंकरलाल, राजूदेवी पुत्र/पुत्री जगन्नाथ 1/2 गोपाल, बाबूलाल पुत्र कालू 1/2
 धोलीराम, पायल, राहुल पुत्रान व मन्जू देवी पत्नी सीताराम हिस्सा 1/4 के हिस्से में रहेगी
 तथा खसरा नम्बर 5/5 रकबा 1.0433 है० की भूमि खातेदार छोटी पत्नी श्रीनारायण हिस्सा
 1/2 लाली पत्नी प्रभातीलाल हिस्सा 1/2 जाति मीणा सा. किशनपुरा के हिस्से में रहेगी
 तथा संलग्न जमाबंदी अनुसार सम्मिलित खातेदारी हिस्से में रहेगी जो 0.050 है० भूमि है
 तथा खसरा नम्बर 3/2 रकबा 0.7587 है० स्थित ग्राम चरणगढ प.ह. राजपुरापातलवास
 भू०अ०नि० बांसखोह तह० बस्सी जिला जयपुर में से खसरान नम्बर 3/2 रकबा 0.37935
 है० की भूमि खातेदार बद्रीनारायण पुत्र नहनू हिस्स 1/3 मोहनलाल पुत्र नहनू हिस्सा 1/3
 नाबालिग पूरण पुत्र राजूलाल संरक्षक माता लाडा देवी हिस्सा 1/9 लाडा देवी पत्नी
 राजूलाल हिस्सा 1/9 राहिन स्टैट बैंक आफ इण्डिया शाखा बांसखोह जाति मीणा सा. देह
 नाबालिग मोहित पुत्र राजूलाल 1/9 राहिन स्टैट बैंक आफ इण्डिया शाखा बांसखोह के
 हिस्से में रहेगी तथा खसरा नम्बर 3/2/1 रकबा 0.37935 है० की भूमि खातेदार रामचन्द्र
 पुत्र पांचू हिस्सा राहिन स्टैट बैंक आफ इण्डिया शाखा बस्सी के हिस्से में रहेगी।
 तहसीलदार तूंगा द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव भी अंतिम डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार
 तहसीलदार तूंगा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें। अनुमोदित विभाजन
 प्रस्ताव व नक्शे की प्रति तहसीलदार तूंगा को भिजवाया जावें।निजी.....मुबलिक.
बाबत.....खर्चा.....इस मुकदमें का मय सूद
 वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.....को अदा
 करें।


बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 13.06.2024 को जारी किया गया।



दस्तख्त
 सहायक कमिश्नर
 बस्सी जिला जयपुर

मुद्रा	रुपये	पैसे	मुद्रादायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अजी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।


 सहायक कलेक्टर
 बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण